

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 647]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त 2025 — श्रावण 21, शक 1947

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 अगस्त 2025

अधिसूचना

File No. RULE/377/2025-EXCISE (52). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ड.), (च) एवं (ज) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, “सामान्य प्रयोग” के नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

संशोधन

1/ उक्त नियम में –

(1) नियम 3 के उपनियम (3) में शब्द समूह “कुष्ठ रोग से ग्रस्त या सांसर्गिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति या” को विलोपित किया जावे।

2/ यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 अगस्त 2025

अधिसूचना

File No. RULE/377/2025-EXCISE (53). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (छ), (ज) एवं (झ) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा "सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त" में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

संशोधन

1/ उक्त नियम में –

(1) शर्त क्रमांक 11 के उप शर्त क्रमांक (4) को विलोपित किया जावे।

2/ यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.